BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 417 OF 2022

IN THE MATTER OF:-

NIRANJAN BAGCHI ...Applicant

Versus

STATE OF UTTARAKHAND & ORS ...Respondents

VOLUME-II

INDEX

S.NO.	Particulars	Page No.
1.	**Annexure B** Copy of the compliance received from office of Municipal Corporation, Dehradun	61-114

Panel Counsel for State of Uttarakhand

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012

(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 07 वर्ष 2013)

उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के बाढ़ मैदान, परिक्षेत्रण की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु यह कि विभिन्न नदियों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों हेतु भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "बाढ़ मैदान" में जल सरणी, बाढ़ सरणी और लगभग जब तक कि प्रसंग या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में नीची भूमि का वह क्षेत्र सम्मिलित है, जो जलप्लावन के कारण आने वाली बाढ़ के लिए सुग्राही हो;

(ख) 'बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण' से किसी नदी के बाढ़ मैदानों में जहाँ नदियों और जलधाराओं से जल के अधिप्लावन के कारण मैदान बन जाते है, मानव गतिविधियों पर प्रतिबन्ध अभिप्रेत है;

(ग) 'बाढ़ क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिससे अधिकतम सम्भावित बाढ़ प्रवाह बहा ले जाना अपेक्षित है;

(घ) 'बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी' से नदी के सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) 'भूमि' में भूमि के हित, भूमि से उत्पन्न फायदे या भूमि से संलग्न या भूमि से संलग्न किसी भी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी चीजों का समावेश है,

(च) 'अधिभोगी' किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका किसी भूमि में हित है और वह उस भूमि पर स्वयं खेती करता है, अपने सेवक या भाडे के मजदूर से खेती करवाता है। इसमें काश्तकार भी शामिल है;

(छ) 'स्वामी' से किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका ऐसी भूमि में हित है;

(ज) 'विहित' से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) 'नदी' में उसकी सहायक नदियों का समावेश है;

(ञ) 'जल सरणी' से ऐसी सरणी अभिप्रेत है, जिसमें साधारणतः नदी का प्रवाह परिरूद्ध रहता है।

अध्याय–दो

बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी तथा उसकी शक्तियाँ

बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की घोषणा

3. (1) जहाँ राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह सरकारी राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसी रीति से जो इस अधिनियम में आगे विनिर्दिष्ट की गई है, बाढ मैदान परिक्षेत्रण किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि जिन सीमाओं के निर्धारण हेतु नदी का सर्वेक्षण किया जाय, उनके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्ध चार्ट और पंजिया (रजिस्टर) तैयार किये जायं, जिनमें समस्त सीमाएं भूमि–चिन्ह और ऐसी सीमाएं अभिनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक कोई अन्य विषय विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में जिलाधिकारी या सरकार के ऐसे अन्य प्राधिकारी को उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के प्रयोजनों के लिए बाढ परिक्षेत्रण अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे, और ऐसी अधिसूचना में वह

उक्त प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्त्तव्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य

4. बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों और निबन्धनों के अनुसार करेगा।

अध्याय–तीन

बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के सर्वेक्षण एवं चित्रण

सर्वेक्षण

5. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, नदियों के बाढ़ मैदानों का सर्वेक्षण करेगा और नदियों के बाढ़ मैदानों के स्वरूप और सीमा का अवधारण करेगा।

(2) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किये गये सर्वेक्षण के आधार पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रों की स्थापना करेगा और उन क्षेत्रों का आंकलन करेगा, जिसमें जनसाधारण के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्पत्ति की अभिरक्षा के आशय से बाढ़ मैदान के उपयोग के आपेक्षिक जोखिम के सन्दर्भ में भूमि के वर्गीकरण का भी समावेश होगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन वर्णित क्षेत्र दर्शाते हुए चार्ट और पंजिकाएं तैयार करेगा।

सर्वेक्षण की शक्ति

6. बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा अन्य इस निमित्त सामान्य या विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिये यह विधि पूर्ण होगा कि वह–

(क) अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर प्रवेश करे और उसका सर्वेक्षण कर और उसका स्तर नापे;

(ख) ऐसे स्तरों, सीमाओं और सीमा रेखाओं को चिन्ह अथवा सीमा पत्थर लगाकर चिन्हित करना;

(ग) भूमि नापना;

(घ) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सीमाएं अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये समस्त अन्य आवश्यक कार्य करना,

(ङ) जहाँ सर्वेक्षण और स्तर नापना अन्यथा पूर्ण नहीं किया जा सकता और किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल को काटना या उसके किसी भाग को साफ करना विधि सम्मत होगा :

परन्तु यह कि भूमि के ऐसे अधिभोगी को कम से कम इस आशय का सात दिन का नोटिस दिए बगैर (अधिभोगी की इसके लिए सहमति के बिना) कोई बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकारी या किसी निवास गृह से संलग्न, किसी भवन, किसी बगीचे या खुले या बन्द प्रांगण में प्रवेश नहीं करेगा।

नुकसानी का संदाय

7. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा इस निमित्त सामान्य अथवा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जिसने धारा 5 के अधीन किसी भूमि पर प्रवेश किया है उसे छोड़ने के पूर्व ऐसे किसी भी नुकसान के लिये जो कि भारित हुआ हो, ऐसी भूमि के स्वामी अथवा अधिभोगी को प्रतिकर देगा और इस प्रकार दी गयी राशि की पर्याप्तता के बारे में कोई विवाद होने की स्थिति में बाढ परिक्षेत्र प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मामला विनिश्चय हेतु राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसे अपास्त या उपान्तरित कराने के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई भी वाद नहीं लाया जा सकेगा।

अध्याय–चार

बाढ़ मैदानों की परिसीमाओं की अधिसूचना

बाढ़ मैदानों क्षेत्रों को चिन्हित करने के राज्य सरकार के आशय की घोषणा

8. राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित करने और उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

सार्वजनिक सूचनाएं

9. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, धारा 8 के अधीन अधिसूचना जारी करने पर क्षेत्र के सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी अधिसूचना का सारांश सार्वजनिक रूप से सूचित करेगा।

(2) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, क्षेत्र में स्थित भूमियों के स्वामियों को सूचनायें व्यष्टितः भी देगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अभिलेख, चार्ट, नक्शे, पंजिकायें, और अन्य

दस्तावेज, नदी सरणी/बाढ़ सरणी और बाढ़ मैदान दर्शाते हुए क्षेत्र का स्वरूप और जिस सीमा तक उसका उपयोग प्रतिषिद्ध अथवा प्रतिबन्धित है, विनिर्दिष्ट करते हुए विनिर्दिष्ट समयों पर आम जनता की जानकारी हेतु कार्यालय में प्रदर्शित करेगा।

आक्षेप

10. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 9 में निर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के प्रतिबन्धों या निर्बन्धनों के प्रति आक्षेप करना चाहता हो, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर अपने आक्षेप उपदर्णित करते हुए एक लिखित विवरण बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा।

(2) उपरोक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी विहित रीति से नोटिस जारी करेगा और सम्बन्धित पक्ष को मामले की सुनवाई का युक्तिपुक्त अवसर प्रदान कर देने के पश्चात् आक्षेपों पर विचार करेगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ उसके और अपने प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

राज्य सरकार का विनिश्चय

11. (1) राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् क्षेत्र की परिसीमाओं में ऐसे परिवर्तन करने का आदेश देगी, जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित करेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध विनिर्दिष्ट सीमाओं परिसीमाओं सहित उक्त नदी पर लागू होंगे :

परन्तु यह कि नदी के भराव क्षेत्र में पूर्व से अवस्थित मानवीय बस्तियों को पुनर्वासित किए जाने की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा अंकित और अनुमोदित क्षेत्र बाढ़ मैदान समझे जायेंगे और सीमाएं, जहाँ आवश्यक हो, सीमा के पत्थरों या अन्य उपयुक्त चिन्हों द्वारा चिन्हित की जायेंगी।

(5) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस प्रकार वर्णित ऐसे क्षेत्रों के मानचित्र और

पंजिकाएं रखेगा और ऐसे मानचित्र तथा पंजिकाएं कार्यालय के स्थायी अभिलेखों का भाग समझी जायेगी।

(6) उपधारा (5) के अधीन रखे गये मानचित्र और पंजिकाएं उस जिले के जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नदी का कोई भाग स्थित है और ऐसे समय पर आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे, जैसा विहित किया जाये।

अध्याय– पाँच

बाढ़ मैदान के उपयोग का प्रतिषेध एवं निर्बन्धन

बाढ़ मैदान में बाधा आदि के प्रतिषेध की शक्ति

12. (1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सम्पति के हित में या आम जनता की असुविधा को कम करने के हित में बाढ़ मैदानों में गतिविधियाँ प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करना आवश्यक है, वहाँ सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा वह क्षेत्र, जिसमें प्रतिषेद्ध या निबंन्धन प्रवृत्त किया जाना है और ऐसे प्रतिषेध या निर्बन्धन का स्वरूप और सीमा विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, धारा 8 के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः मास की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं की जायेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, रूढ़ि, करार अथवा लिखत में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषेद्ध अथवा निर्बन्धन अभिभावी रहेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना निबंन्धित अथवा प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कोई गतिविधि आरम्भ नहीं करेगा :

परन्तु यह कि जब कोई व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को इस धारा के अधीन कोई गतिविधि आरम्भ करने के लिए अनुज्ञा के लिए आवेदन करता है और बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की कालावधि के भीतर उक्त व्यक्ति को संसूचित नहीं करता है कि आवेदित अनुज्ञा अस्वीकृत कर दी गई है, वहाँ यह उपधारित किया जायेगा कि बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी ने उक्त अनुज्ञा दे दी है।

शास्ति

13. यदि कोई व्यक्ति धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों और शर्तों के प्रतिकूल कोई गतिविधि प्रारम्भ या कार्यान्वित करता है या करने का प्रयत्न करता है तो वह :—

(क) जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर साधारण कारावास से, जो दो मास तक हो सकेगा; और

(ख) खण्ड (क) के अधीन दोष सिद्ध के पश्चात उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रूपये तक का हो सकेगा।

अपराध शमन करने की शक्ति

14. (1) राज्य सरकार द्वारा किसी सामन्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसी शर्तों के, जो कि विहित की जाये, अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ संस्थित होने के पूर्व या पश्चात् उस व्यक्ति से, जिसने अपराध किया है या जिस पर कोई अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह है, एक हजार रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकेगा।

(2) ऐसी धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर ऐसे व्यक्ति को अपराध से उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अपील

15. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस तारीख से, जिसको उसे उक्त विनिश्चय की संसूचना दी गई थी, नब्बे दिन की कालावधि के भीतर उस प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाये :

परन्तु यह कि यदि विहित प्राधिकारी को इस बात का समाधान दे जाये कि अपीलार्थी ससमय किसी कारणवश नहीं कर पाया था, अपील दाखिल तो वह नब्बे दिन की कालावधि की समाप्ति पर भी अपील पर विचार कर सकेगा।

(2) विहित प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

पुनरीक्षण

16. (1) जहां धारा 15 के अधीन कोई अपील नहीं की गयी है, वहां राज्य सरकार बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के किसी आदेश, जाँच या कार्यवाहियों की वैधता, औचित्य या शुद्धता के परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की जाँच या कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकेगी और मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह उचित समझे :

परन्तु यह कि ऐसे आदेश की तारीख से छः मास समाप्त हो जाने के पश्चात् ऐसा कोई अभिलेख नहीं मंगाया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के किसी भी आदेश में किसी भी व्यक्ति को मामले में सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ऐसा कोई परिवर्तन नही किया जायेगा, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

अध्याय– छः

प्रतिकर

प्रतिकर का संदाय

17. (1) जहाँ किसी भी व्यक्ति को बाढ़ मैदान में कोई कार्यकलाप हाथ में लेने की अनुज्ञा देने से इन्कार कर दिया गया हो या जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर अधिरोपित, प्रतिषेद्ध या निर्बन्धन के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होता हो तो वहाँ वह ऐसे प्रतिकर के संदाय का हकदार होगा, जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 01 वर्ष 1894) की धारा 23 एवं 24 के अधीन अवधारित भूमि के मूल्य और उस मूल्य के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगा, जो कि उसे उस तिथि में मिलता कि जब किसी कार्यकलाप के क्रियान्वयन की अनुज्ञा मिल गई होती या जब निर्बन्धन अथवा प्रतिषेद्ध अधिरोपित नहीं किया गया होता।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर की धनराशि का अवधारण करने में ऐसे किसी भी निर्बन्धन पर विचार किया जायेगा, जिसके कि अध्यधीन वह भूमि, प्रतिकर का दावा करने वाले व्यक्ति के, उस भूमि पर कोई भी कार्य करने या उस भूमि के अन्यथा उपयोग के, अधिकार के सम्बन्ध में, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन है।

सहमति से प्रतिकर और प्रभाजन का अवधारण

18. (1) जिस व्यक्ति को धारा 17 के अधीन प्रतिकर संदत्त किया जाना है तथा ऐसी धनराशि का प्रभाजन, जिसमें व्यक्ति हितबद्ध है, उसका निर्धारण प्रतिकर में हितबद्धता का दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच बाद परिक्षेत्रण प्राधिकारी द्वारा, करार द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(2) ऐसे किसी करार के अभाव में, बाद परिक्षेत्रण प्राधिकारी, ऐसी जाँच जो वह आवश्यक समझे :—

(क) धारा 17 के अधीन दिये जाने वाले प्रतिकर की राशि;

(ख) प्रतिकर का ऐसे व्यक्तियों में, जिनका उसमें हितलाभ होने की जानकारी अथवा विश्वास किया जाता है, प्रभाजन अवधारण कर, अधिनिर्णय (अवार्ड) देगा :

परन्तु यह कि जहाँ प्रतिकर की राशि दस हजार रुपये से अधिक हो, वहाँ राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई अवार्ड नहीं किया जायेगा।

प्रतिकर का ग्राह्य नहीं होना

19. (1) कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा, यदि :—

(क) जहाँ तक भूमि उस तारीख को जिस दिन इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निर्बन्धन अधिरोपित किये गये थे, प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रवृत्त सारतः वैसे ही निर्बन्धनों के अध्यधीन है; या

(ख) यदि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पूर्णतः समान निर्बन्धनों के सम्बन्ध में दावेदार या उसके पूर्वाधिकारी, जिसका दावे में हितबद्धता है, भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का पहले ही संदाय कर दिया गया है;

(ग) किसी भी अतिक्रमण को हटाने के लिए।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से कोई गतिविधि आरम्भ की गयी है तो ऐसी गतिविधि से भूमि के मूल्य में वृद्धि पर भूमि के मूल्य का आंकलन करते समय विचार नहीं किया जायेगा।

अधिनिर्णय (अवार्ड) के विरुद्ध आवेदन

20. (1) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन बाद परिक्षेत्रण प्राधिकारी के अवार्ड से व्यथित कोई भी व्यक्ति, लिखित आवेदन द्वारा राज्य सरकार अथवा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार, इस निमित प्राधिकृत करे, आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाये और अवार्ड की संसूचना प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन के अन्दर किया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन किये गये आवेदन का निपटारा ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाये।

धारा 20 के अधीन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्राधिकारियों की शक्तियाँ

21. (1) धारा 20 के अधीन आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 05 वर्ष 1908) की धारा 141 के अर्थान्तर्गत कार्यवाहियाँ समझा जायेगा और उसका विचारण करने में निर्देश विनिश्चय करने के लिये सशक्त प्राधिकारी सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

(2) जाँच का क्षेत्र राज्य सरकार अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य ऐसे अधिकारी को विनिर्दिष्ट मामले पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा।

विनिश्चय का सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप पर प्रवर्तनीय होना

22. धारा 21 के अधीन निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में प्रवर्तनीय होगा।

अधिनिर्णय के अधीन संदाय

23. धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित प्रतिकर अथवा धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन अभिनिर्णय दे दिये जाने पर या ऐसे अभिनिर्णय के विरुद्ध धारा 20 के अधीन कोई आवेदन किया जाता है तो प्राधिकारी के विनिश्चय के पश्चात् बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर का संदाय किया जायेगा और ऐसे संदाय पर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 01, वर्ष 1894) की धारा 31 से 35 के उपबन्ध लागू होंगे।

अध्याय– सात

प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति

प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति

24. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन भूमि के किसी स्वामी अथवा अधिभोगी को कोई कार्य करने या अनधिकृत अवरोध हटाने का ऐसे समय के अन्दर जैसे विनिर्दिष्ट किया जाय, निदेश दे सकता है और भूमि का स्वामी अथवा अधिभोगी ऐसा कार्य करेगा और

अवरोध हटायेगा।

(2) यदि स्वामी या अधिभोगी, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के अन्दर बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी वह कार्य करवा सकेगा और अवरोध हटवा सकेगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किया गया समस्त व्यय ऐसे स्वामी अथवा अधिभोगी से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा जायेगा।

अध्याय– आठ

विविध

बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को कोई कार्य करने से रोकना अपराध होगा

25. कोई भी व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी का इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन ऐसे प्राधिकारी पर अधिरोपित किसी कार्य का निर्वहन करने से रोकता है, उसके लिये यह समझा जायेगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 45 वर्ष 1860) की धारा 186 के अधीन अपराध किया है।

बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना

26. बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 45 वर्ष 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भाव से कार्यवाही का संरक्षण

27. (1) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, जो ऐसे किसी भी बात के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम अथवा आदेश के अनुश्रवण में सद्भावपूर्वक की गयी हो, या की जानी आशयित हो, राज्य सरकार ऐसे किसी प्राधिकारी अथवा व्यक्ति के विरूद्ध नहीं हो सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग या किसी भी कर्तव्य का पालन कर रहा हो।

(2) ~~कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसी किसी बात के लिए कारित~~ या कारित होने के लिए सम्भाव्य किसी नुकसान के कारण राज्य सरकार के विरूद्ध नहीं हो सकेगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये

गये किसी भी नियम या आदेश के अनुश्रवण में सद्भावपूर्वक की गयी हो, या की जानी आशयित हो।

जुर्माने की वसूली

28. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित सभी जुर्माने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 2 वर्ष 1974) में उपबंधित रीति से वसूल किये जायेंगे।

न्यायालय की शक्ति

29. सिविल न्यायालय को किसी प्रश्न के निस्तारण, विनिश्चित करने या उस पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी, जिसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, निस्तारित, विनिश्चित किया जाना या जिस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

नियम बनाने की शक्ति

30. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से पूर्वोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध किए जा सकेंगे :—

(क) वह रीति, जिससे चार्ट और अभिलेख रखे जायेंगे;

(ख) वह प्ररूप और रीति जिससे धारा 20 के अधीन आवेदन किया जायेगा और वह रीति, जिससे ऐसे आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा; तथा

(ग) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना हो या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया जाने वाला प्रत्येक नियम बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र 14 दिन की कुल अवधि के एक या दो या अनुवर्ती सत्रों में हो, प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपरोक्त सत्र या अनुवर्ती सत्र के तुरन्त कि नियम न बनाया जाय तो तत्पश्चात् यथास्थिति नियम ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभावित हो जायेगा तथापि ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलकरण का इस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हो। बाद के सत्रों के अवसान से पूर्व यदि सदन उक्त नियम में कोई उपान्तरण के लिये सहमत हो जाता है तथा सदन सहमत हो जाता है।

निरसन और अपवाद 31. (1) उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अध्यादेश, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम, के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

डी० पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 31/XXXV(3)/2013/58(1)/2012
Dated Dehradun, January 28, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012'** (Adhiniyam Sankhya 07 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 24 January, 2013.

THE UTTARAKHAND FLOOD PLAIN ZONING ACT, 2012

[UTTARAKHAND ACT NO. 07 OF 2013]

An

Act

to provide for the zoning of flood plains of rivers in the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :--

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) This section shall come into force at once and the remaining provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act, and for different areas of different rivers.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires:-

(a) **"Flood Plain"** includes water channel, flood channel and that area of nearly low and which is susceptible to flood by inundation;

(b) **"Flood Plain Zoning"** means restricting any human activity in the flood plains of a river where the plains are created by overflow of water from the channels of rivers and streams;

(c) **"Flood Zone"** means the area which is required to carry the flow of the maximum probable floods;

(d) **"Flood Zoning Authority"** in relation to river, means the authority appointed by the State Government under section 3;

(e) "**Land**" includes interest in lands, benefits arising out of lands and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;

(f) "**Occupier**" in respect of any land, means any person who has an interest in the land and cultivates the land himself or by his servants or by hired labour and includes a tenant;

(g) "**Owner**" in relation to any land includes any person having interest in such land;

(h) "**Prescribed**" means prescribed by rules made by the State Government under this Act;

(i) "**River**" includes its tributaries; and

(j) "**Water Channel**" means the channel in which the flows of a river are generally confined.

CHAPTER-II

FLOOD ZONING AUTHORITY AND IT'S POWERS

Declaration of flood plain zoning

3. (1) Where the State Government considers it necessary or expedient so to do, it may, by notification in the Official Gazette declare that flood plain zoning shall be made in the manner hereinafter specified.

(2) The State Government may direct that a survey be made of a river for the purpose of determining the limits within which the provisions of this Act are to be applied and that proper charts and registers be prepared specifying all boundaries and landmarks and any other matter necessary for the purpose of ascertaining such limits.

(3) The State Government may by notification in the Official Gazette appoint the Collector of the District or such other authority as the Government considers necessary, as the Flood Zoning Authority for the purposes of making a survey of the area as required under sub-section (2) and may specify in such notification, the duties to be discharged by such authority.

Powers and functions of the Flood Zoning Authority

4. The Flood Zoning Authority shall exercise the powers and discharge the duties in accordance with the provisions of this Act and the terms and conditions specified in the notification under sub-section (3) of section 3.

CHAPTER - III

SURVEYS AND DELINEATION OF FLOOD PLAIN AREA

Survey

5. (1) The Flood Zoning Authority shall carry out surveys of flood plains of the rivers and determine the nature and the extent of flood plains of the rivers.

(2) The Flood Zoning Authority shall, on the basis of the survey carried out under sub-section (1) establish flood plain zones and delineate the areas which are subject to flooding including classification of land with reference to relative risk of flood plain use intended to safeguard the health, safety and property of the general public.

(3) The Flood Zoning Authority shall prepare charts and registers indicating the areas delineated under sub-section (2).

Power to take up survey

6. It shall be lawful for the Flood Zoning Authority or any of the officers generally or specially authorized by it in this behalf-

(a) to enter upon and survey and take levels of any land within its or his jurisdiction;

(b) to mark such levels, boundaries and lines by placing marks or boundary stones;

(c) to measure the land;

(d) to do all other acts necessary for the purposes of ascertaining the limits referred to in sub-section (2) of section 3; and

(e) Where otherwise the survey cannot be completed and the levels taken, to cut down and clear away any part of standing crop, fence or jungle :

Provided that no Flood Zoning Authority or any other officer shall enter into any building or open any enclosed court or garden

attached to a dwelling-house (unless with the consent of the occupier thereof) without previously giving such occupier at least seven days notice in writing of its or his intention to do so.

Payment of damages

7. (1) The Flood Zoning Authority or any other officer generally or specially authorized by it in this behalf, who has entered upon any land under section 5 shall, before leaving, tender compensation to the owner or occupier of such land for any damage which may have been caused and in case of dispute as to the sufficiency of the amount so tendered, the Flood Zoning Authority or such officer shall refer the matter to the State Government for its decision.

(2) The decision of the officer under sub-section (1) shall be final and no suit shall lie in a civil court to have it set aside or modified.

CHAPTER-IV

NOTIFICATION OF LIMITS OF FLOOD PLAINS

Declaration of intention of State Government to demarcate flood plains areas

8. The State Government may on the basis of a report from the Flood Zoning Authority or otherwise, by notification in the Official Gazette, declare its intention to demarcate the flood plain areas and either prohibit or restrict the use of land therein.

Public Notices

9. (1) The Flood Zoning Authority shall, on the issue of notification under section 8, cause public notice of the substance of such notification to be given at convenient places in the area.

(2) The Flood Zoning Authority shall also give notices individually to the owners of the lands situated in the area.

(3) The Flood Zoning Authority shall exhibit records, charts, maps, registers and such other document showing the river channel, flood channel and the flood plain area, specifying the nature and extent to which the use of limits of the area is either prohibited or restricted, in the office for inspection by the General public at the timing specified therein.

Objections

10. (1) Any person, who desires to raise any objection to the limits and either the prohibitions or restrictions specified in the public notice referred to in section 9, may within a period of sixty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, forward to the Flood Zoning Authority a statement in the writing setting forth his objections.

(2) After the expiry of the period aforesaid, the Flood Zoning Authority shall issue a notice in a manner prescribed and consider the objections after giving the party concerned a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(3) The Flood Zoning Authority shall forward to the State Government its or his proposals together with the records referred to in sub-section (3) of section 9.

Decision of State Government

11. (1) The State Government shall after considering the report of the Flood Zoning Authority, order such alteration in the limits of the area as it considers necessary.

(2) The decisions of the State Government shall be final.

(3) The State Government shall by notification in the Official Gazette, declare that the provisions of this Act shall apply to the said river with boundaries and limits as specified :

Provided that the State Government shall also make arrangement for rehabilitation of Colonies already existing in the flood plain.

(4) The areas delineated and approved by the State Government shall be deemed to be the flood plain and the limits shall, where necessary be marked either by boundary stones or other suitable marks.

(5) The Flood Zoning Authority shall maintain the charts and registers of such areas so delineated and such charts and registers shall form part of the permanent records of the office.

(6) The charts and registers maintained under sub-section (5) shall be

furnished to the Collector of the District in which any part of the river is situated and shall be opened for inspection by the general public at such times as may be prescribed.

CHAPTER-V

PROHIBITION OR RESTRICTION OF THE USE OF THE FLOOD PLAINS

Power to prohibit obstruction etc. in flood plain

12. (1) Where the State Government is satisfied that it is necessary to do so in the interest of public health, safety or property or reducing the inconvenience to the general public to prohibit or restrict the activities in the flood plain, the Government may, by notification in the Official Gazette, specify the area where such prohibition or restriction is to be enforced and the nature and extent of such prohibition or restriction :

Provided that no notification under this sub-section shall be issued after the expiry of six months from the date of publication of notification under section 8.

(2) Upon the publication of a notification under sub-section (1), notwithstanding anything contained in any law, custom, agreement of instrument, for the time being in force, the prohibition or restriction specified in such notification shall prevail.

(3) No person shall undertake any activity within the prohibited area or restricted area except with the previous permission of Flood Zoning Authority:

Provided that where a person makes an application to the Flood Zoning Authority for permission under this sub-section to undertake any activity and the Flood Zoning Authority does not within a period of ninety days from the date of receipt of such application, communicate to the said person that permission applied for has been refused, it shall be presumed that he Flood Zoning Authority has granted such permission.

Penalty

13. If any person commences or carries on or attempts to carry on any activity in the areas specified in the notification under sub-section (1) of section 12 contrary to the terms and conditions specified in such notifications, he shall be punishable-

(a) with fine which may extend to five hundred rupees and in default of payment of fine, with simple imprisonment for the term which may extend to two months; and

(b) with further fine which may extend to one hundred for each day during which the offence continues after the conviction under clause (a).

Power to Compound

14. (1) Subject to such conditions as may be prescribed, any officer authorized by the State Government by a general or special order in this behalf may, either before or after the institution of proceedings under this Act, accept from the person who has committed or is reasonably suspected of having committed and offence, a sum of money not exceeding one thousand rupees.

(2) On the payment of such sum of money, such person shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence.

Appeal

15. (1) Any person aggrieved by any decision of the Flood Zoning Authority may prefer an appeal to an authority prescribed by the State Government in this behalf, within a period of ninety days from the date on which such decision was communicated to him:

Provided that the prescribed authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) The prescribed authority may, after giving a reasonable opportunity to the appellant of being heard, pass such orders as it thinks fit and the decision thereof shall be final.

Revision

16. (1) Where no appeal has been preferred under section 15, the State Government may, for the purpose of examining the legality propriety or correctness of any order, inquiry or proceedings of the Flood Zoning Authority, call for the records of any enquiry or proceedings of the Flood Zoning Authority and make such order in the case as it think fit :

Provided that no such record shall be called after the expiry of six months form the date of such order.

(2) No order of the Flood Zoning Authority shall be varied by the State Government so as to prejudicially effect any person without giving such person a reasonable opportunity of being heard in the matter.

CHAPTER-VI

COMPENSATION

Payment of compensation

17. (1) Where any permission to undertake any activity in the flood plain has been refused to any person or where as a result of prohibition or restriction imposed on any person under this Act, such person suffers any damage, he shall be entitled to the payment of compensation not exceeding the difference between the value of the land as determined under section 23 or section 24 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 01 of 1894) and the value which it would have, had the permission for carrying on any activity had been granted or the prohibition or restriction had not been imposed.

(2) In determining the amount of compensation under sub-section (1) any restriction to which the land is subjected to under any other law for the time being in force in regard to the right of the person claiming compensation to carry on any activity on the land or otherwise to the use of the land shall be taken into consideration.

Determining the compensation and apportionment by consent

18. (1) The person to whom the compensation under section 17 is to be paid and the apportionment of such amount among the persons interested therein shall be determined by agreement between the

Flood Zoning Authority and the person or persons claiming interest therein.

(2) In default of any such agreement, the Flood Zoning Authority shall, after holding such enquiry as it considers necessary, make an award determining :---

(a) the amount of compensation to be paid under section 17; and

(b) the apportionment, if any, of such compensation among persons known or believed to be interested therein;

Provided that where the amount of compensation exceeds ten thousands rupees, no award shall be made without the previous approval of the State Government or such other officer as the State Government may authorized in this behalf.

Compensation not admissible

19. (1) No compensation shall be awarded --

(a) if and in so far as the land is subject to substantially similar restriction in force under some other law in force on the date on which the restrictions were imposed by or under this Act; or

(b) if compensation in respect of the same restrictions imposed by or under this Act or substantially similar restrictions in force under some other law has already been paid in respect of the land to the claimant or any predecessor in interest of the claim; or

(c) for removal of any encroachment.

(2) If any person has unauthorized undertaken any activity, then any increase in the land value from such activity shall not be taken into account in estimating the value of land.

Application against award

20. (1) Any person aggrieved by the Award of the Flood Zoning Authority under sub-section (2) of section 18 may, by an application in writing, apply to the State Government or such other officer as the State Government may authorize in this behalf.

(2) Any application under sub-section(1) shall be made in such form

and in such manner as may be prescribed and shall be made within forty five days from the date of communication of the award.

(3) The application under this section shall be disposed of in such manner as may be prescribed.

Procedure and powers of authorities in deciding applications under section 20

21. (1) An application under section 20 shall be deemed be proceedings within the meaning of section 141 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 05 of 1908) and in the trial thereof, the authorities empowered to decide a reference may exercise the powers of a civil court.

(2) The scope of inquiry shall be restricted to the consideration of the matter referred to the State Government or such other officer as the State Government may authorize in this behalf.

Decision enforceable as decree of civil court

22. The decision under section 21 shall be enforceable as a decree of a civil court.

Payment under award

23. On the determination of the compensation under sub-section (1) of section 18, or on the making of an award under sub-section (2) of Section 18 or, if an application is made under section 20 against such award, after decision of the authority, the compensation shall be paid by Flood Zoning Authority and the provisions of section 31 to 35 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 01 of 1894), shall apply to such payment.

CHAPTER-VII

POWER TO REMOVE OBSTRUCTIONS AFTER PROHIBITION

Power to remove obstructions

24. (1) The Flood zoning Authority may, in accordance with the provisions of this Act, direct any owner or occupier of land to do any act or to remove any un-authorized obstructions within such time as may be specified by it and such owner or occupier shall do such act or remove the obstructions.

(2) If owner or occupier fails to comply with the order of the Flood Zoning Authority within the time specified under sub-section (1), the Flood Zoning Authority may cause the act to be performed or cause the obstructions to be removed.

(3) All expenses incurred by the Flood Zoning Authority under this section shall be recovered from such owner or occupier as arrears of land revenue.

CHAPTER-VIII
MISCELLANEOUS

Preventing Flood Zoning Authority from doing any act to be an offence

25. Any person who prevents the Flood Zoning Authority in discharging any act imposed on such Authority by or under this Act, shall be deemed to have committed an offence under section 186 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

Flood zoning Authority other officers to be public servants

26. The Flood zoning Authority and other officers and employees authorized under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

Protection of action taken in good faith

27. (1) No suit, Prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any authority or person exercising any power or performing any duty under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or an order made thereunder.

(2) No suit, or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused for any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

Recovery of fine

28. All fines imposed under this Act shall be recovered in the manner provided in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 02 of 1974)

15

Power of Court

29. A Civil Court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question which is by or under this Act required to be settled, decided or deal with by the Flood Zoning Authority or such other officer as is authorized by the State Government in this behalf.

Power to make rules

30. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for ---

(a) the manner in which charts and records shall be maintained;

(b) the form and manner in which application under section 20 shall be made and the manner in which such application shall be disposed of; and

(c) any other matter which has to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall by laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of 14 days which may be comprised in one session or two or successive sessions and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid the House agrees in making any modification in the rule, or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Repeal and Saving

31. (1) The Uttarakhand Flood Plain Zoning Ordinance, 2012 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

D. P. GAIROLA,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 07 विधायी/75–2013–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

पत्रांक 795/ST/20

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

दिनांक 25/04/2024

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बगछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनॉक 25.07.2023 में निर्देशित किया गया है कि "We further direct the Secretary, Enviornment, Uttarakhand, State Polution Control Board, the collector and Municipal commissioner to take immediate action for removal of encroachment from the public land/river body and to ensure the compliances of the environment act. Public property cannot be made subject of encroachment."

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 273/XXXVI/(3)/2018/53(1)/2018 देहरादून, 26 जुलाई 2018"उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश 2018" तथा अधिसूचना संख्या–264/XXXVI/(3)/2021/55(1)/2021 देहरादून, 24 सितम्बर 2021"उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संसोधन) विधेयक, 2021" के अध्याय–2 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही एवं निर्देश देने की शक्ति की धारा–4 में प्रर्वतन को स्थगित किये जाने का उल्लेखित है, अध्यादेश के प्रवृत्त होने से 6 वर्ष तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। शासनादेश संख्या–श0वि0–2016–25(सा)/2014 देहरादून, दिनांक 30 सितम्बर 2016, उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थान तथा उससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली, 2016 के बिन्दु सं0–14 निषेध तथा दण्डात्मक प्रक्रिया में "राज्य सरकार की भूमि पर दिनांक 11.03.2016 के पश्चात् किया जाने वाला कोई भी कब्जा दण्डनीय अपराध होगा"।

Annex-3 TASK FORCE FORMATION BY MC, NND

उपरोक्त के क्रम में नगर निगम सीमान्तर्गत नदियों के किनारे अतिक्रमण चिन्हित किये जाने हेतु निम्नानुसार टास्क फोर्स गठित की जाती है:–

1.	अपर नगर आयुक्त	–	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक (नगर) अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	उप जिलाधिकारी (सदर) अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
4.	उप नगर आयुक्त (भूमि)/कर अधीक्षक	–	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई खण्ड, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
6.	अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल विभाग, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
8.	अधीक्षण अभियन्ता, जल संस्थान, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
9.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून	–	सदस्य

उक्तानुसार गठित समिति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक 25.07.2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अतिक्रमण चिन्हित करते हुए एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करेंगी, ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का दिनॉक 25.07.2023 का अनुपालन ससमय किया जा सके। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनॉक 13.05.2024 नियत है। इसमें किसी भी प्रकरण की लापरवाही/विलम्ब के लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव महोदय, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक महोदय, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी/प्रशासक महोदया, देहरादून को सादर अवलोनार्थ प्रेषित।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपरोक्तानुसार समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित संख्या–417/2022 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 एवं 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का विवरण

ANNEX - 3
89 ENCROACHMENT REMOVAL REPORT TO NND

क्र0 सं0	अतिक्रमणकर्ता का नाम एवं पता	क्षेत्र/बस्ती का नाम	अतिक्रमण का प्रकार	अतिक्रमण का वर्ष	अतिक्रमण किस दिनाक को हटाया गया है।
1	3	4	7	8	15
1	रानी पत्नी विजय कुमार	बारी घाट नई बस्ती	टीन पोश	03.09.2019	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
2	नवाब पुत्र शकील	बाडीगार्ड नई बस्ती	पक्का लिन्टर टीन पोश	01.10.2022	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
3	राहुल पुत्र विरेन्द्र	बाडीगार्ड नई बस्ती	टीन पोश	13.11.2017	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
4	मौ0 अनीश/इरशाद पुत्र चनन	बाडीगार्ड नई बस्ती	पक्का लिन्टर	12.08.2022	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
5	सवित्री पत्नी धिरेन्द्र रावत	बाडीगार्ड नई बस्ती	पक्का लिन्टर	2017 से	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
6	अजय कुमार पुत्र प्रवीन सिंह	बाडीगार्ड नई बस्ती	लिन्टर पोश	11.01.2017	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
7	नासिर पुत्र रमजानी	बाडीगार्ड नई बस्ती	लिन्टर पोश	02.01.2018	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
8	चन्द्रपाल पुत्र कचडू	बाडीगार्ड नई बस्ती	लिन्टर पोश	20.09.2022	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
9	दिनेश कुमार पुत्र राम सिंह	बाडीगार्ड नई बस्ती	लिन्टर पोश	03.03.2017	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
10	मोनु कुमार पुत्र नरेश कुमार	बाडीगार्ड नई बस्ती	टीन पोश	20.07.2018	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
11	विपिन पुत्र शिवचरण	बाडी गार्ड जाखन	टिन शेड आवास	24.05.2018	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
12	अज्ञात	चन्दर रोड़	खाली		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
13	प्रशान्त शर्मा व राहुल शर्मा	चन्दर रोड़	टिन शैड फेमिली रेस्टोरेन्ट	2018	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।

(स्वामिश दत्त भट्ट)
सहा0नि0 (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

दिपाल सिंह
कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
निगम (देहरादून)

14	प्रशान्त शर्मा व राहुल शर्मा	चन्दर रोड़	खाली भूमि प्लाटिंग किया गया है।	2018	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
15	विरेन्द सिंह पुत्र मुरली सिंह	संजय कालोनी नेमी रोड बस्ती	खाली प्लाट शौचालय बना है।		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
16	महेन्द्र सिंह पुत्र प्यारे लाल	भाग–2 पूरन बस्ती	गौशाला		दिनांक 27.052024 को हटा दिया गया है।
17	खाली प्लाट निगम	भाग–2 पूरन बस्ती	खाली प्लाट		दिनांक 27.052024 को हटा दिया गया है।
18	खाली प्लाट निगम	संजय कालोनी नेमी रोड़ बस्ती	खाली प्लाट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
19	प्रेमा देवी पत्नी राजेश रावत श्री जगदीश प्रसाद	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
20	दीपक पुत्र ढाकुर सिंह	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
21	गुड्डी देवी पत्नी बिरेन्द सिंह	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
22	राकेश कोहली पुत्र देवेन्द्र	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
23	उर्मिला कोठारी पुत्र स्व0 भगत राम कोठारी	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
24	सुरेन्द सिंह बिष्ट पुत्र खुशाल सिंह बिष्ट	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
25	वेद भुषण डोन्डियाल पुत्र गोविन्द राम डोन्डियाल	चन्दर रोड	खाली प्लाट चरदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
26	सुरेन्द्र सिंह रावत पुत्र त्रिलोका सिंह रावत	चन्दर रोड	खाली प्लाट चरदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।

ऋषिपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक

(विजय कुमार भिवानी)
का. निरीक्षक

(स्वयंभार दत्त भट्ट)

(राहुल कैंथोला)
का. अधीक्षक (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

27	ओम प्रकाश सुन्द्रियल पुत्र परसादी लाल सुन्द्रियाल	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनाक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
28	अरविन्द सिंह रावत पुत्र भगवान सिंह रावत	चन्दर रोड	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
29	अज्ञात	चन्दर रोड	खाली प्लाट चारदीवारी	खाली प्लाट चार दिवार	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
30	के0के0 बहुखण्डी	चन्दर रोड	दुकान	दुकान	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
31	के0के0 बहुखण्डी	चन्दर रोड़	खाली प्लाट	खाली प्लाट	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
32	माया मोहन पैन्युली पुत्र बृज मोंहन पैन्युली	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी	खाली प्लाट चार दिवार	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
33	सुशील तिमान पुत्र मनमोहन लाल तिमान	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी	खाली प्लाट चार दिवार	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
34	राम अवध पुत्र राम नाथ	नई बस्ती बलबीर रोड़	आवासीय टीन पोश		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
35	इमरान पुत्र फरजन अली	लोअर राजीव नगर बस्ती	टीन शैड		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
36	बृजराज पुत्र बृजभान	लोअर राजीव नगर बस्ती	गौशाला		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
37	सोनू सुन्द्रियाल पुत्र अज्ञात	बलबीर रोड़ लास्ट	खोका (टीन का)		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
38	बिट्टू पवार पुत्र कुक्कन सिंह	बलबीर रोड़ लास्ट	खोका (टीन शैड)		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
39	असना परवीन पत्नी नौ0 खालिद	भगत सिंह कालोनी	खोका (टीन शैड)		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।

ऋषिपाल सिंह
का0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग

विनोद कुमार नवानी
कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग, नगर निगम, देहरादून

(सुधांशु दत्त भट्ट)
सहा0नि0 (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

(राहुल कैंथोला)
का0 अधिकारी (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

40	संजीव पुत्र श्री घासी राम	नाला पार्क रोड	टीन पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
41	सचिन सोनकर पुत्र अशोक सोनकर	खटिक मौहल्ला	पक्का टीन पोस्ट मकान		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
42	धीरज पुत्र श्री गुलशन कुमार	114 ओल्ड डालनवाला	पक्का टीन पोस्ट (सुअर बाडा)		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
43	कमला देवी	ओल्ड वाल्मिकी बस्ती डालनवाल	पक्का ईंट की दीवार टीन पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
44	जयपाल पुत्र फकीरा	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
45	पप्पू पुत्र बिठल	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
46	कमला पत्नी छोटे लाल	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
47	अनिल कुमार पुत्र छोटे लाल	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
48	बृजेश कुमार	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट, बाथरूम		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
49	बृजेश कुमार	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	नदी पर पक्का फर्श		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
50	रजत पुत्र वेद प्रकाश	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	पक्का सुअर बाडा		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
51	जयराम पुत्र बनवारी लाल	114 ओल्ड डालनवाला वाल्मिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट (सुअर बड़ा)		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।

ऋषिपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भवि अनुभाग

कर निरीक्षक

(सर्वेश्वर दत्त सुयाल)

52	राहुल पुत्र लाल चन्द	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	बाथरूम लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
53	नन्द किशोर पुत्र तुलसी महतो	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	बाथरूम लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
54	पंकज पुत्र जिया लाल यादव	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	बाथरूम लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
55	लेदा पुत्र सोरा	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	बाथरूम लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
56	सुन्दर रम पुत्र किशोरी राम	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	झोपड़ी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
57	राजेन्द्र सरजू पुत्र बेगन	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	झोपड़ी एवं लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
58	सचिन पुत्र श्री रामपाल	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
59	रामकिशोर पुत्र राम चरण	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	टीन शैड		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
60	महेन्द्र पाल पुत्र श्री इवतरी	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	टीन शैड		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
61	मुकेश कुमार पुत्र श्री हरचरण	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	कच्चा		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
62	टीकमराम पुत्र राम्चरण	दीपनगर	टीन शैड	2021	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।

ऋषिपाल सिंह
क0 उप निरीक्षक
भूमि अनुभाग
... निगम देहरादून

विनोद कुमार मदौ...
वन निरीक्षक
... नगर निगम, देहरादून

... दास पन्त
राजस्व निरी०
नगर निगम, देहरादून

63	दयाल सिंह ठाकुर	दीपनगर	टीन पोश पक्का	2023	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।
64	सुरेश कुमार पुत्र सन्त लालदास	दीपनगर	लैण्टर पोश	2023	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।
65	नामालूम	दीपनगर	लैण्टर पौश निर्माणा.टीन	2023	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।
66	दिग्गी पुत्र चन्द्र पाल सिंह	दीपनगर	पक्का लैण्टर	2023	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।
67	राकेश पुत्र बचान	दीपनगर	टीन पोश पक्का	2023	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।
68	सोनू शर्मा पुत्र मांगेराम	दीपनगर	टीन पोश पक्का	2023	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।
69	रविकुमार पुत्र चतुर सिह	दीपनगर	टीन पोश पक्का	2023	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।

(राहुल कैंथोला)
कर अधीक्षक (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

विनोद कुमार नदानी
कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग, नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

ऋषिपाल सिंह
क० कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

कार्यवृत्त

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक– 25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में उपनगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 22.05.2024 कार्यालय नगर निगम देहरादून में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति का विवरण :–

1. श्री भगवती प्रसाद रतूड़ी, तहसीलदार, नगर निगम देहरादून।
2. श्री राहुल कैन्थोला, कर अधीक्षक(भूमि), नगर निगम देहरादून।
3. श्री आत्मा राम सैनी, राजस्व निरीक्षक, नगर निगम देहरादून।
4. श्री शम्भूनाथ गांगूली, राजस्व निरीक्षक, नगर निगम देहरादून।

बैठक में चर्चा का विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक– 25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रेषित नोटिस के क्रम में प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण के सम्बन्ध में।**

1. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022, दिनांक 25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 27.05.2024 से टास्क फोर्स द्वारा अभियान तगाकर उक्त अवैध अतिक्रमण/कब्जे को हटाने की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।
2. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि गठित टास्क फोर्स में 5 टीमों द्वारा सर्वे किया गया। जिसमें 89 अवैध अतिक्रमण नदी श्रेणी नगर निगम भूमि पर पाये गये। अवैध अतिक्रमणकारियों को 07 दिन का नोटिस प्रेषित करते हुए सूचित किया गया कि अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटालें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा।
3. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि 89 अवैध अतिक्रमण टीम संख्या–2 जाखन काठबंगला से कण्डोली तक, टीम संख्या–4 अधोईवाला से अजबपुरकलां की सीमा तक एवं टीम संख्या–5 अजबपुरकलां से नौका मोथरोवाला की सीमा तक से सम्बन्धित पाये गये।
4. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 89 अवैध अतिक्रमणों के सापेक्ष 42 आपत्तियां कार्यालय को प्राप्त हुई।
5. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा तहसीलदार, नगर निगम देहरादून को प्राप्त 42 आपत्तियों का दिनांक 11.03.20216 से पूर्व निवास/कब्जा सम्बन्धी साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण हेतु निर्देशित किया गया।
6. बैठक में तहसीलदार, नगर निगम देहरादून अवगत कराया गया कि प्राप्त 42 आपत्तियों का परीक्षण के उपरान्त 15 कब्जेदारों द्वारा दिनांक 11.03.20216 से पूर्व निवास/कब्जा सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जो सही पाये गये तथा शेष 74 कब्जेदारों द्वारा दिनांक 11.03.20216 से पूर्व का कोई भी अभिलेखिय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

22/05/2024

उपनगर आयुक्त
नगर निगम देरादून।

पत्रांक : 1849 /भूमि अनुभाग/2024
दिनांक : 22/05/2024

प्रतिलिपिः–

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

उपनगर आयुक्त
नगर निगम देरादून।

कार्यवृत्त

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक– 25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में उपनगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2024 को कार्यालय नगर निगम देहरादून में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति का विवरण :–

1. श्री भगवती प्रसाद रतूड़ी, तहसीलदार, नगर निगम देहरादून।
2. श्री राहुल कैन्थोला, कर अधीक्षक(भूमि), नगर निगम देहरादून।
3. श्री आत्मा राम सैनी, राजस्व निरीक्षक, नगर निगम देहरादून।
4. श्री शम्भूनाथ गांगूली, राजस्व निरीक्षक, नगर निगम देहरादून।

बैठक में चर्चा का विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक– 25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रेषित नोटिस के क्रम में मा0 मंत्री महोदय, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नगर निगम देहरादून को प्रेषित आपत्तियों का परीक्षण के सम्बन्ध में।**

1. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022, दिनांक 25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 27.052024 से टास्क फोर्स द्वारा अभियान लगाकर उक्त अवैध अतिक्रमण/कब्जे को हटाने की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।
2. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वार अवगत कराया गया कि गठित टास्क फोर्स में 5 टीमो द्वारा सर्वे किया गया। जिसमें 89 अवैध अतिक्रमण नदी श्रेणी नगर निगम भूमि पर पाये गये। अवैध अतिक्रमणकारियों को 07 दिन का नोटिस प्रेषित करते हुए सूचित किया गया कि अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटालें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा।
3. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि 89 अवैध अतिक्रमण टीम संख्या–2 जाखन काउबंगला से कण्डोली तक, टीम संख्या–4 अधोईवाला से अजबपुरकलां की सीमा तक एवं टीम संख्या–5 अजबपुरकलां से नौका मोथरेवाला की सीमा तक से सम्बन्धित पाये गये।
4. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 89 अवैध अतिक्रमणों के सापेक्ष 58 अतिक्रमण तोड़े जा चुके हैं शेष 31 अतिक्रमणकारियों में से 28 द्वारा पुनः आपत्तियां/अभिलेख कार्यालय को प्राप्त हुई।
5. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा तहसीलदार, नगर निगम देहरादून को प्राप्त 28 आपत्तियों/अभिलेख का दिनांक 11.03.20216 से पूर्व निवास/कब्जा सम्बन्धी साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण हेतु निर्देशित किया गया।
6. बैठक में तहसीलदार (से0नि0), नगर निगम देहरादून अवगत कराया गया कि प्राप्त 28 आपत्तियों/अभिलेखों का परीक्षण के उपरान्त 20 कब्जेदारों द्वारा दिनांक 11.03.20216 से पूर्व निवास/कब्जा सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जो सही पाये गये तथा शेष 8 कब्जेदारों द्वारा दिनांक 11.03.20216 से पूर्व का कोई भी अभिलेखिय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा 03 अतिक्रमणकारियों द्वारा कोई आपत्तिया/अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए गए।

अतः 20 व्यक्तियों के अतिक्रमण को छोड़ते हुए शेष 11 अतिक्रमण जो 11.03.2016 के बाद निर्मित किए गए है जिसे हटाये जाने की संस्तुति गठित समिति के द्वारा प्रस्तुत की गयी है। उक्त अवशेष चिन्हित 11 अवैध अतिक्रमणों को टास्क फोर्स के माध्यम से हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देरादून।

पत्रांक : 1888 /भूमि अनुभाग/2024 दिनांक : 05/06/2024

प्रतिलिपिः–

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देरादून।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित संख्या–417 / 2022 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 एवं 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में चिह्नित अतिक्रमण जो 11.03.2016 से पहले के है।

क्र0 सं0	अतिक्रमण कर्ता का नाम एवं पता	क्षेत्र / बस्ती का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नं0	अतिक्रमण का प्रकार	क्षेत्रफल	प्राप्त अभिलेखें का विवरण
1	3	4	5	6	7	9	13
1	दीप्ती देवी पत्नी अजय कुमार राम	बारीघाट नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	24 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 24.02.2016 का तथा गैस कनेक्शन 24.06.2015 का बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 07.04.2013 का है। जांच की गयी।
2	सतीश पुत्र हरीश चन्द्र	बारीघाट नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	52 वर्ग मी0	पानी का बिल 04.12.2012, 23.10.2013 का नगर निगम हाउस टैक्स 20.06.2018, का है।
3	सुनीता मिश्रा पत्नी दिवाकर मिश्रा	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	24 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 11.09.2010 का है।
4	रामफल सहानी पुत्र बलदेव	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	39 वर्ग मी0	बिजली का बिल 11.09.2013–22.09.2014 वोटर कार्ड 26.01.2012 का है।
5	सरला देवी पत्नी स्व. र्नपाल	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	25 वर्ग मी0	बिजली का बिल 2018 का था. स्थलीय जांच में मौके पर राशन कार्ड 11.06.2014 है और वोटर कार्ड 12.09 2013 का है।
6	अजय सैनी पुत्र सुरेन्द्र सिंह	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	पक्का लिन्टर टीन पोश	40 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 19.04.2015, राशन कार्ड 23.01.2016 तथा बिजली बिल 14.03.2016 का है
7	आरिफ पुत्र अब्दुल गनी	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	35 वर्ग मी0	02.04. 2014 का वोटर कार्ड है।
8	नरेश पुत्र भरत राम	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	पक्का लिन्टर पोश	98 वर्ग मी0	रू0–100 के स्टाम्प पर दिनांक 22.01.2009 को अवैध क्रय की गयी है। आंगन बाड़ी से टीकाकरण का 13.09.2012 प्रमाण दिया गया है।

ऋषिपाल सिंह
क0 वर निरीक्षक
भूमि अनुभाग

(शमशेर ... नूरी)
राजस्व निरीक्षक

(आलोक ... सैनी)
राजस्व निरीक्षक

(राहुल ...)
कर अधिकारी (...)

(भगवती प्रसाद जगूड़ी)
तहसीलदार
नगर निगम देहरादून

9	राजेश पुत्र सुखलाल	बाडीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	लिन्टर पोश	80 वर्ग मी0	बिजली का बिल–2.12.2016 / पानी का बिल–27.02.2014 / हाउस टैक्स–3.06.2018
10	दिवान चन्द्र पुत्र मोहन लाल	बाडीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	लिन्टर पोश	30 वर्ग मी0	पानी का बिल 12.03.2015 नगर निगम टैक्स 2018 भवन निर्माण का मूल्याकन 1.1.2014
11	सुभावती पत्नी हरि सिंह	बाडीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	200 वर्ग मी0	पानी का बिल 2.02.2010–2007. 2014 / बिजली का बिल 16.062014 का है।
12	राम किशोर उर्फ हरि किशोर	बाडीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	48 वर्ग मी0	बिजली का बिल 5.07.2015 राम किशोर के नाम से लगाया गया है।.
13	बन्टी पुत्र भूरे	बाडीगार्ड	जाखन	1121	टीन पोश	21 वर्ग मी0	बिजली का बिल–7.7.2015 पानी का बिल–4.9.2023 आधार–1.1. 2013,
14	स्वाति भट्ट पत्नी नारायण भट्ट	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	72 वर्ग मी0	मेडिकल–23.7.2017 / पालिसी–15. 122012 नगर निगम भवन कर–2014 का तथा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 07.08.2014 का है।
15	राम चन्द्र पुत्र कन्हैया लाल	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	24 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 02.04.2014 का व बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 07.08.2014 का है।
16	नितिन पुत्र सुरेश कुमार	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	36 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 03.03.2016 का है व गैस कनेक्शन 25.05.2013 का है।
17	प्रीति पत्नी शर्मा	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	60 वर्ग मी0	गैस कनेक्शन 20.07.2014, राशन कार्ड 2015, आधार कार्ड 27.11.2014 का है।
18	कुणावती पत्नी राज करन	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	48 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 02.04.2014, राशन कार्ड 16.06.2014 का है।
19	जवाहर राम पुत्र दीनदयाल राम	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	108 मी0	वोटर कार्ड 28.12.2015 राशन कार्ड 20.05.2015 का है।
20	मच्चुन पत्नी योगिन्दर	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	77वर्ग मी0	आधार कार्ड 05.01.2015 का है

ऋषिपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

(शम्भू नाथ गांगुली)
राजस्व निरीक्षक
नगर निगम देहरादून

(आज्ञा राम सैनी)
राजस्व निरीक्षक
नगर निगम देहरादून

(राहुल केन्थोला)
कर अधीक्षक (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

ANNEX-4
UTTARAKHAND PAYJAL REPORT

कार्यालय 0135-2753150
E-mail doendivn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा,

गली नं0 11, राजेन्द्र नगर, देहरादून –248001

पत्रांक : 2700 / 374 / 56 दिनांक : 11.07.2024

सेवा में

नगर आयुक्त
नगर निगम,
देहरादून।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या –417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के अनुपालन में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के कार्यालय कक्ष में दिनांक 11.07.2024 को आहुत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सूचना/आख्या सलग्नक कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जीतमणि बेलवाल)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्नक सहित प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता (मु0/गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. महप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
5. श्री रामकुमार, सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता

ऐसे अवशेष नाले/नालियों का विवरण, जिन्हें किन्ही कारणवश टेप नहीं किया जा सका।

क्र० सं०	नाले/नालियों का विवरण	संख्या	टिप्पणी	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5
1	मोथरोवाला पुल से एस०पी०एस० के मध्य नालों/नालियों की संख्या (नदी के दायीं ओर)	01 नग	यह एक सिंचाई नहर है, जिस कारण आई० एण्ड डी० का निर्माण नहीं किया गया एवं इसके कैचमेन्ट क्षेत्र में ए०डी०बी० द्वारा सीवर लाईन बिछाने एवं सीवर संयोजन का कार्य किया जा रहा है।	
2	एस०पी०एस० से नारी निकेतन पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या			
	नदी के बायीं ओर			
2.1	मोथरोवाला एस०टी०पी० के निकट (अपस्ट्रीम)।	01 नग	वन क्षेत्र का नाला है, जिसमें वन क्षेत्र का वर्षा का पानी प्रवाहित होता है। जिस कारण वर्तमान में नाले को टेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।	
2.2	दून यूनिवर्सिटी के विपरीत बस्ती	01 नग	यह वन क्षेत्र का बरसाती नला है एवं नाले में केवल वर्षा का पानी ही बहता है, जिस कारण वर्तमान में नाले को टेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।	
2.3	दून यूनिवर्सिटी के विपरीत	01 नग	प्रस्तावित आई० एण्ड डी० का लेवल मुख्य सीवर लाईन के इनवर्ट लेवल से नीचे होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। नाले के कैचमेन्ट क्षेत्र जिस क्षेत्र का गन्दा पानी नाले में गिरता है, में ए०डी०बी० द्वारा सीवर लाईन बिछाने एवं कनैक्शन का कार्य किया जा रहा है। सीवर लाईन बिछाये जाने के उपरान्त नाले में गन्दा पानी बहने की सम्भावन नहीं होगी।	
2.4	निकट डॉग हाउस	01 नग	नाले सूख जाने के कारण आई० एण्ड डी० की आवश्यकता नही है।	
	नदी के दायीं ओर			

क्र0 सं0	नाले/नालियों का विवरण	संख्या	टिप्पणी	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5
2.5	सचिवालय कॉलोनी मोथरोवाला	01 नग	इससे सचिवालय परिसर का पानी प्रवाहित होता है। नाली के आसपास के पास कोई सीवर लाईन न होने के कारण इसे नहीं जोड़ा जा सका था। वर्तमान में आराघर से मोथरोवाला आसपास सीवर का कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सचिवालय परिसर की सीवर लाईन को ट्रंक सीवर लाईन से जोड़ दिया जायेगा।	
3	नारी निकेतन पुल से हरा पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या			
	नदी के बायीं ओर			
3.1	शिव मन्दिर के निकट	01 नग	कैचमेन्ट क्षेत्र में सीवर कनेक्शन होने के कारण नाली वर्तमान में सूखी है, जिससे आई0 एण्ड डी0 निर्माण की आवश्यकता नहीं है।	
	नदी के दायीं ओर			
3.2	दीपनगर में नदी तट से लगी हुई बस्ती	01 नग	आई0 एण्ड डी0 हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने के कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया जा सका। समस्त क्षेत्र सीवर से आच्छादित है एवं नाली में लगभग 10–12 घरों का ही पानी प्रवाहित होता है। सीवर संयोजन दिये जाने के उपरान्त गंदा पानी नहीं बहेगा।	
4	हरा पुल से रिस्पना (विधानसभा) पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या			
	नदी के दायीं ओर			
4.1	दीपनगर में नदी तट से लगी हुई बस्ती	01 नग	आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने के कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया जा सका। श्राव न्यून एवं निरन्तर नही है। नाली का कैचमैन्ट क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है। शत–प्रतिशत सीवर संयोजन होने के उपरान्त नाली में गन्दा पानी नहीं बहेगा।	
4.2	निकट प्रसार भारती कार्यालय नदी के दायी ओर	01 नग	आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। नाली का कैचमैन्ट क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है एवं वर्तमान में चालू है एवं अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत दीपनगर आई0 एण्ड डी0 में टैप किया गया है।	

क्र0 सं0	नाले/नालियों का विवरण	संख्या	टिप्पणी	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5
5	निकट तिब्बती मार्केट नदी के दायी ओर	01 नग	आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। नाली का कैचमैन्ट क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है एवं वर्तमान में चालू है एवं अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत दीपनगर आई0 एण्ड डी0 में टेप किया गया है।	
6	रिस्पना पुल से बलबीर रोड पुल के मध्य नालें/नालियों की संख्या (नदी के बायीं ओर)	1 नग	यह बरसाती नाला है, [illegible] आंशिक भाग का अशुद्ध जल भी प्रवाहित होता है। नाले का कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर से आच्छादित है। समस्त सीवर संयोजन होने के पश्चात आवासीय परिसरों के अशुद्ध जल को रोका जा सकता है।	
7	बलबीर रोड पुल से इन्दर रोड पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या (नदी के दायीं ओर)	01 नग	पुल अबेडमेन्ट के मध्य में होने एवं निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया जा सका। अवगत हुआ कि अन्य विकल्प हेतु भी पुल से 100.00 मी0 पहले आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति चाही गयी थी, परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा अनापत्ति निर्गत नहीं हो पायी। नली का कैचमेन्ट क्षेत्र वर्तमान में सीवर से आच्छादित है एवं सीवर कनेक्शन होने के पश्चात नाली में गन्दे पानी के बहने की सम्भावना नहीं होगी।	
8	चन्दर रोड पुल से मुन्ना भट्टा पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या			
	नदी के बायीं ओर			
8.1	अधोईवाला नदी तट की ओर का क्षेत्र	01 नग	उक्त नाली घर के नीचे से हो कर गुज़रती है, जिस कारण आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नही हो पाया एवं आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नही किया जा सका। नाले का समस्त कैचमेन्ट क्षेत्र मे वर्तमान में सीवर लाईन चालू हो गयी है। सीवर कनैक्शन दिये जाने के पश्चात् नाली मे गन्दा पानी नहीं बहेगा।	
8.2	अधोईवाला नदी तट की ओर का क्षेत्र	01 नग	आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाया एवं आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नही किया जा सका। नाली का समस्त कैचमेन्ट क्षेत्र में वर्तमान में सीवर लाईन चालू हो गयी है। सीवर कनैक्शन दिये जाने के पश्चात नाली मे गन्दा पानी नही बहेगा।	

क्र० सं०	नाले/नालियों का विवरण	संख्या	टिप्पणी	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5
8.3	अधोईवाला नदी तट की ओर का क्षेत्र	01 नग	आई० एण्ड डी० के निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण आई० एण्ड डी० का निर्माण नहीं हो सका। वर्तमान में कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित हो चुका है एवं चालू स्थिति में है। अतः समस्त सीवर संयोजन आवंटित करने के पश्चात नाली में गंदा पानी नहीं बहेगा।	
	नदी के दायीं ओर			
8.4	राजेश रावत कॉलोनी के नदी तट का क्षेत्र।	01 नग	नाली घरों के मध्य से होकर गुजरती है। आई० एण्ड डी० निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण आई० एण्ड डी० का निर्माण नहीं हो सका। नाले का कैचमेंट क्षेत्र वर्तमान में सीवर से आच्छादित हो चुका है एवं चालू स्थिति मे है। सीवर कनेक्शन होने के पश्चात् नाली में गन्दा पानी बहने की सम्भावना नहीं है।	
8.5	राजेश रावत कॉलोनी के नदी तट का क्षेत्र।	01 नग	नाली घरो के मध्य से होकर गुजरती है एवं सामने सडक से आई० एण्ड डी० निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण आई० एण्ड डी० का निर्माण नहीं किया जा सका। साथ ही कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर से आच्छादित हो चुका है एवं चालू स्थिति में है। सीवर कनेक्शन होने के पश्चात् नाली में गन्दा पानी नहीं बहेगा।	
8.6	राजेश रावत कॉलोनी के नदी तट का क्षेत्र।	01 नग	नाली घरों के नीचे से गुजरती है एवं सडक की चौड़ाई अत्यधिक कम है, जिस कारण आई० एण्ड डी० हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं हो पायी, जिससे आई० एण्ड डी० का निर्माण नहीं हुआ। नाली में पानी न्यून एवं निरन्तर नहीं है एवं कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर से आच्छादित हो गया था। सीवर लाईन वर्तमान में चालू है एवं सीवर कनेक्शन दिये जाने के पश्चात् नाली में गन्दा पानी बहने की सम्भावना नहीं रहेगी।	
8.7	राजेश रावत कॉलोनी के नदी तट का क्षेत्र।	01 नग	नाली में स्राव न्यून व निरन्तर नहीं है एवं मात्र 6-7 घरो का ही पानी बहता है। आई० एण्ड डी० के निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण आई० एण्ड डी० का निर्माण नहीं हो सका। कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है एवं सीवर संयोजन आवंटित करने के पश्चात् नाली में गंदा पानी नहीं बहेगा।	

क्र0 सं0	नाले/नालियों का विवरण	संख्या	टिप्पणी	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5
8.8	राजेश रावत कॉलोनी के नदी तट का क्षेत्र।	01 नग	नाली का गन्दा पानी पूर्व में सड़क के दूसरी ओर बहने वाली नाली में जाता था, जिस पर आई0 एण्ड डी0 निर्मित भी की गयी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा नाली के पानी को सड़क के दूसरी ओर नयी नाली बनाते हुये डायवर्ट कर दिया गया है एवं नाली का आउटफॉल विद्युत ट्रांसफार्मर के नीचे है, जिस कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया जा सका। वर्तमान में नाली का कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर से आच्छादित हो गया है एवं सीवर चालू स्थिति में है। सीवर कनेक्शन का कार्य होने पर नाली में गन्दे पानी बहने की सम्भावना नहीं रहेगी।	
9	चूना भट्टा पुल से शनि मन्दिर पुल के मध्य नालों/नलियों की संख्या			
	नदी के दायीं ओर			
9.1	शनि मन्दिर पुल के निकट (डाउनस्ट्रीम)	01 नग	ड्रेन नं0 131 में 12 घरों का पानी आता है। आई0 एण्ड डी0 हेतु जगह उपलब्ध न होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। नाली में श्रव न्यून है, क्षेत्र सीवर से आच्छादित हो गया है एवं कनेक्शन होने के पश्चात गन्दा पानी नही बहेगा।	
9.2		01 नग	ड्रेन नं0 134 में 02 घरो का पानी आता है। क्षेत्र में सीवर लाईन बिछायी गयी है। सीवर संयोजन लिये जाने के उपरान्त ड्रेन सूख जायेगी, जिस हेतु सम्बन्धित को निर्देशित भी किया गया है।	
9.3		01 नग	सीवर कनेक्शन हो जाने के कारण ड्रेन नं0 135 सूख गयी है, जिस कारण आई0 एण्ड डी0 निर्माण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।	
9.4		01 नग	ड्रेन नं0 138 में श्री मलकीत सिंह व श्री सुरेन्द सिंह जी के घर के मध्य से नाली आ रही है। आई0 एण्ड डी0 हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया जा सका। नाले के कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर से आच्छादित है। सीवर कनेक्शन दिये जाने के उपरान्त नाली सूख जायेगी।	
10	शनि मन्दिर पुल से श्मशान घाट पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या			

क्र0 सं0	नाले/नालियों का विवरण	संख्या	टिप्पणी	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5
	नदी के दायीं ओर			
10.1	शनि मन्दिर पुल के निकट (अपस्ट्रिम)	01 नग	ड्रेन न0 114 में 12 घरों के बाथरूम एवं किचन का पानी आता है। शिवचरण फायर ऑपरेटर विदेश सचार, कानपुर के घर के निकट ड्रेन है। ड्रेन से 20.00 मी0 पाईप यदि द्वारी आई0 एण्ड डी0 मे जोड़ा जाये तो ड्रेन का पानी नदी मे जाने से रोका जा सकता है।	
10.2		01नग	ड्रेन न0 126 में 08 घरों के बाथरूम एवं किचन का पनी आता है। समस्त क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है। सीवर कनैक्शन दिये जाने के पश्चात् ड्रेन में आने वाले गन्दे पानी को कम किया जा सकता है।	
10.3		01 नग	आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण नाले को टेप नहीं किया जा सका। नाली के कैचमेन्ट का समस्त क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है एवं सीवर कनैक्शन दिये जाने के उपरान्त गन्दा पानी नहीं बहेगा।	
11	शमशान घाट पुल से ऋषि नगर पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या			
	नदी के बायीं ओर			
11.1	शमशान घाट पुल के निकट (अपस्ट्रिम)	01 नग	नाले का कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर लाईन से अच्छादित है एवं नाले में अधिकतर गोबर की मात्रा बहती है न की सीवर की एवं आई0 एण्ड डी0 के निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण नाले को टेप नही किया जा सका एव यदि नाले को टेप किया जाता है तो नाले में बह रहा गोबर मुख्य सीवर लाईन को चोक कर देगा। सर्वप्रथम नाले में बह रहे गोबर को रोकना होगा, जिससे नाले का लगभग 90 प्रतिशत पानी स्वतः ही सूख जायेगा एवं अवशेष पानी सीवर संयोजन किये जाने के उपरान्त रोका जा सकता है।	
	नदी के दायीं ओर			

क्र0 सं0	नाले/नालियों का विवरण	संख्या	टिप्पणी	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5
11.2	पार्षद नीतू बाल्मिकी के घर के निकट (डाउनस्ट्रीम)	01 नग	नाली का समस्त कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर से आच्छादित है। सीवर संयोजन होने के उपरान्त नाली में गन्दा पानी नहीं बहेगा एवं वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत इस नाली को 1500 मी० पाईप बिछाकर निकट की आई० एण्ड डी० में भी जोडा जा सकता है।	
12	ऋषिनगर पुल से मयूर विहार पुल के मध्य नालो/नालियों की संख्या (योगेश पार्षद के घर से डाउनस्ट्रिम में)	01 नग	ड्रेन में 04 घरों का पानी आता है। समस्त क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है। सीवर कनेक्शन दिये जाने के उपरान्त गन्दा पानी नही बहेगा एव नाली सूख जायेगी।	
13	मयूर बिहार पुल से कण्डोली पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या (बायीं ओर)	01 नग	कण्डोली पुल के दोनो तरफ ड्रेन है, जिसमें से एक सूखी है। आंशिक क्षेत्र में सीवर लाईन जोन–सी प्राक्कलन के अन्तर्गत बिछायी जानी प्रस्तावित है। नाली का आउटलेट कण्डोली–रिस्पना पुल की अबेडमेन्ट के नीचे होने के कारण आई0 एण्ड डी0 हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, जिस कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया जा सका।	

टिपणी :– क्रमांक 4.2 से क्रमांक 13 तक अंकित समस्त नाले/नालियों के पानी को दीपनगर आई0 एण्ड डी0 में टेप किया गया है एवं उक्त नालों/नालियों का लगभग समस्त कैचमेन्ट एरिया वर्तमान में सीवर लाईन से आच्छादित हो गया है।

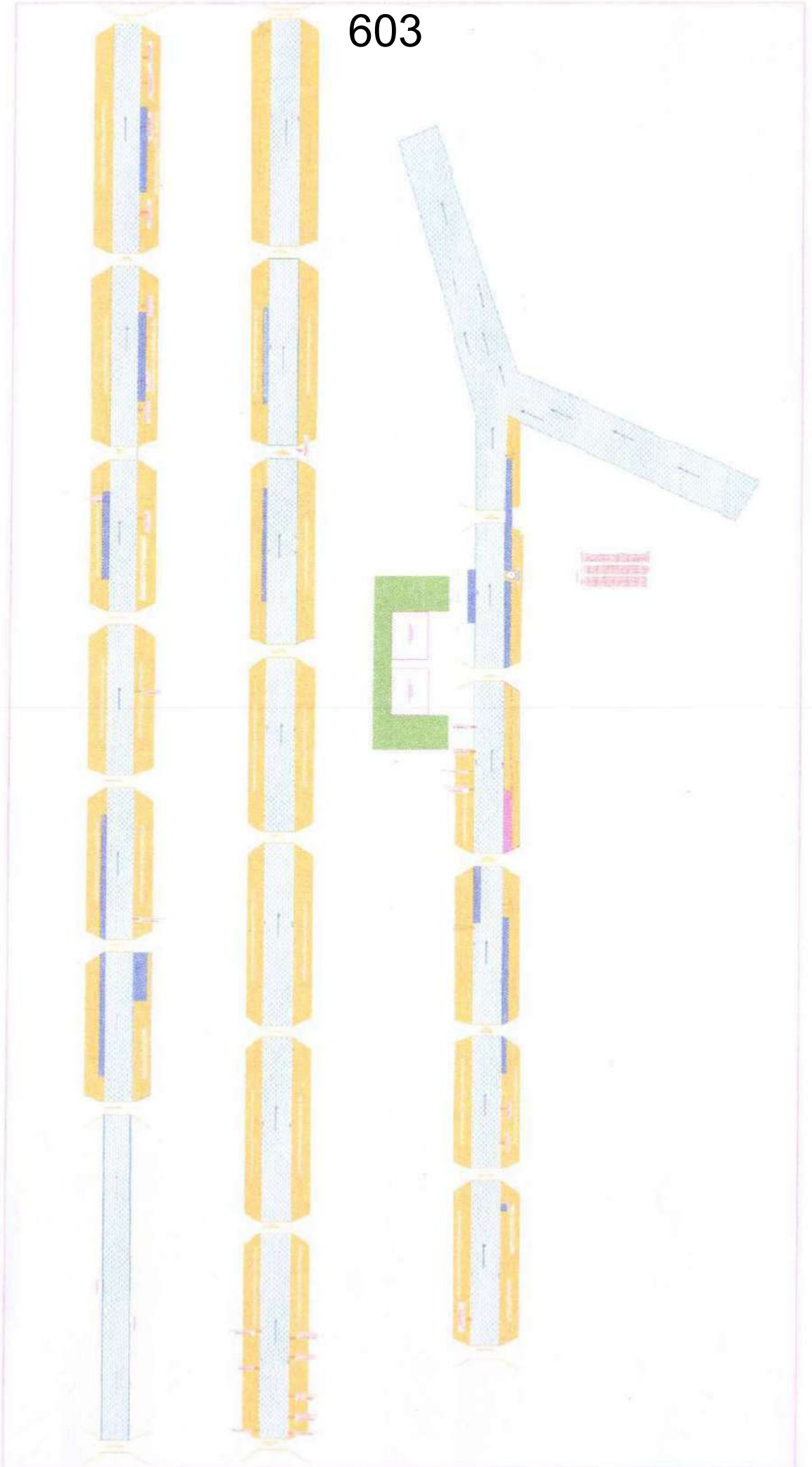

ANNEX-5
UTTARAKHAND JAL SANSTHAN

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (नगर) उत्तराखण्ड जल संस्थान
95—राजपुर रोड़, देहरादून—248001
Phone / Fax :- 0135-2745919, e-mail:-scuban_ujs@rediffmail.com

पत्रांक :— 736 / अधी. अभि. न. / नमामि गंगे / रिस्पना नदी / 2024-25 दिनांक :—19.07.2024

सेवा में

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

विषय— मा.रा. हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या— 417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 696 दिनांक 12.07.2024 से मा.रा. हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या— 417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में विभागीय आख्या संलग्न कर प्रेषित की गई थी के क्रम में संशोधित आख्या पुनः संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।
संलग्नः—यथोपरि।

भवदीय,

(अधीक्षण अभियन्ता)
अधीक्षण अभियन्ता

संख्या एवं दिनांक तदैवः
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक (मुख्यालय), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून।
4. श्री अक्षय कुमार, पर्यावरण विशेषज्ञ, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस0पी0एम0जी) देहरादून।

अधीक्षण अभियन्ता

आख्या

मा0 रा0 हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या– 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के प्राप्त निर्देशों के क्रम में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून द्वारा दिनांक– 13.05.2024 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त में कार्यवाही किये जाने हेतु विभागवार निर्देश दिये गये थे। उपरोक्तानुसार बैठक में उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है--

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में सीवर योजनाओं के निर्माण एवं रखरखाव हेतु उत्तराखण्ड जल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान दो विभाग हैं। उत्तराखण्ड जल निगम का कार्य पेयजल एवं सीवर योजनाओं का निर्माण करना एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजनाओं को उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तगत कर दिया जाता है, जिसके उपरान्त उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा उक्त हस्तगत योजनाओं का रखरखाव एवं संचालन किया जाता है। एसटीपी (क्षमता– 20 एमएलडी) मोथरोवाला, देहरादून का हस्तान्तरण उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा निर्माण कर उत्तराखण्ड जल संस्थान को वित्तीय वर्ष 2021–22 में हस्तगत किया गया था।

रिस्पना नदी के किनारे स्थापित बस्तीयो में जल निगम द्वारा सीवर पाईप लाईन बिछायी है, और जिसके पश्चात निगम द्वारा ही उस पाईप लाईन से हाउस होल्ड को जोडना है। जिसके क्रम में ही महाप्रबन्धक, निर्माण शाखा, गंगा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार के कार्यालय पत्रांक– 2153 दिनांक– 01.07.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि प्राक्कलन में 2397 ओपन हाउस होल्ड आउटलेट को जोड़े जाने का प्राविधान है और जिसके सापेक्ष 1292 सीवर संयोजन हाउस होल्डों को संयोजित कर दिया गया है (संलग्न–01) पत्र में यह भी उल्लेख है कि शेष 1105 सीवर संयोजन जल निगम द्वारा जोड़े जाने हैं।

वर्तमान में रिस्पना नदी के किनारों पर जनसंख्या घनत्व बढ गया है, जिस कारण परिवारों की संख्या मे वृद्धि हो गयी है। वर्तमान में जल संस्थान द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के क्रम में रिस्पना नदी के किनारे निवास कर रहे परिवारों का स्थलीय निरीक्षण किया। उक्त स्थल पर विभागीय सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण के अन्तर्गत निम्नांकित सूचनाएं एकत्रित की गयी है–

क्र0सं0	विवरण	कुल
1	नदी के किनारे स्थित कुल परिवारों की संख्या।	1284
2	नदी के किनारे स्थित कुल परिवारों की संख्या, जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक निर्मित हैं।	670
3	नदी के किनारे स्थित कुल परिवारों की संख्या, जिनके सीवर संयोजन हैं।	255
4	नदी के किनारे स्थित उक्त परिवारों को सीवर संयोजन दिये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।	353
5	नदी के किनारे स्थित कुल परिवारों की संख्या, जिनको सीवर संयोजन दिया जाना सम्भव है।	352

6	नदी के किनारे स्थित कुल परिवारों की संख्या, जिनको सीवर संयोजन दिया जाना सम्भव नहीं है।	1

विभाग द्वारा रिस्पना नदी के किनारे व आस-पास निवासरत परिवारों को सीवर संयोजन से जुड़वाने हेतु जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। रिस्पना के आस-पास कुछ परिवारों द्वारा उक्त कार्यवाही के उपरान्त भी सीवर संयोजन लिये जाने हेतु सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित न होने के कारण, सम्बन्धित परिवारों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत निजी संसाधनों से सीवर संयोजन व विभागीय शुल्क का भुगतान उपरोक्त परिवारों द्वारा किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है, इसीलिये एक प्राक्कलन शासन को प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता, उत्तर / दक्षिण / रायपुर / पित्थूवाला / अधीक्षण अभियन्ता (नगर)

d k;Z, egkizcU/kd
fuekZ.k e.My ¼xaxk½
mRrjk[k.M is;ty fuxe
txthriqj] iksLV&dudy
gfj}kj&249408
Email-gmcmgahw@gmail.com

Office of General Manager
Construction Circle (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam,
Jagjeetpur, Post-Kankhal,
Haridwar-249408

Letter No. 2153 / Karya-20/ 14 date 01-07-2024

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता (नगर),
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
95—राजपुर रोड,
देहरादून।

विषय:— आई0 एण्ड डी0 रिस्पना के सम्बन्ध में दिनांक 26.06.2024 को आहूत बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. उपरोक्त विषयक पेयजल निगम एवं जल संस्थान के अभियन्ताओं के मध्य दिनांक 26.06.2024 को हुई बैठक का कार्यवृत्त आपके कार्यालय पत्रांक 647/अधी0 अभि0 ना0 / बैठक—रिस्पना नदी/2024—25 दिनांक 01.07.2024 के द्वारा निर्गत किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2. उपरोक्त निर्गत कार्यवृत्त के सम्बन्ध मे निम्नानुसार अवगत कराना है कि :—
   i. बिन्दु संख्या—1
   पेयजल निगम के द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है कि पेयजल निगम द्वारा सम्पादित करायी गयी योजना "आई0 एण्ड डी0 रिस्पना के समस्त कार्य पूर्ण हो गये हैं। योजना के अन्तर्गत बिछायी गयी सीवर लाईन से सम्बन्धित समस्त सीवर संयोजन कार्य भी पूर्ण कर लिये गये है। योजना के अन्तर्गत कुल 1292 सीवर संयोजन कार्यों के द्वारा ही बिछायी गयी सीवर लाईन से सम्बन्धित समस्त हाऊस होल्ड संयोजित हो गये है, यद्यपि प्राक्कलन में 2397 ओपन हाऊस होल्ड आउटलेट को जोड़े जाने का प्राविधान है, जोकि सम्भवतः अनुमान आधारित है।
   ii. बिन्दु संख्या—2
   पेयजल निगम के द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है कि पेयजल निगम द्वारा सम्पादित करायी गयी योजना "आई0 एण्ड डी0 रिस्पना" के अन्तर्गत समस्त अपेक्षित सीवर संयोजन के कार्य अनुबन्धानुसार पूर्ण करा लिये गये हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत पेयजल निगम के द्वारा योजना में बिछायी गयी सीवर लाईन के सापेक्ष ही सीवर संयोजन के कार्य कराये जाने प्राविधानित थे तथा तदानुसार ही सीवर संयोजन के कार्य कराये गये हैं। प्रश्नगत योजना में बिछायी गयी सीवर लाईन से सम्बन्धित कोई भी सीवर संयोजन, जोकि तकनीकी/ व्यवहारिक रूप से सम्भव है, अवशेष नहीं है। बैठक के दौरान पेयजल निगम के स्तर से जल संस्थान को सीवर संयोजन हेतु कोई भी धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सहमति नहीं दी गयी है।
   iii. बिन्दु संख्या—3
   पेयजल निगम के द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है कि पेयजल निगम द्वारा सम्पादित करायी गयी योजना "आई0 एण्ड डी0 रिस्पना" के समस्त कार्य मानकों के अनुरूप ही सम्पादित कराये गये है। जल संस्थान के अभियन्ताओं के द्वारा बैठक में आई0 एण्ड डी0 कार्यों के कारण एस0टी0पी0 में प्राप्त हो रहे सीवेज की गुणवत्ता मानकों से निम्नतर आने की सम्भावना व्यक्त की गयी थी तथा आपके पत्र में भी इसी प्रकार उल्लेखित है, जिसके सम्बन्ध में महाप्रबन्धक पेयजल निगम के द्वारा अवगत कराया गया था कि एस0टी0पी0 पर यदि प्राप्त होने वाले सीवेज की गुणवत्ता एस0टी0पी0 के इनलेट पर सीवेज की निर्धारित गुणवत्ता से निम्नतर है तो इस स्थिति में एस0टी0पी0 के उच्चीकरण के कार्य प्रस्तावित किये जा सकते है। यद्यपि महाप्रबन्धक [illegible] के द्वारा बैठक के दौरान ही उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा [illegible] मई—2024 की उत्तराखण्ड राज्य के समस्त एस0टी0पी0 के गुणवत्ता [illegible] की रिपोर्ट आपको प्रेषित की गयी जिसके अनुसार क्रमांक 41, 42 एवं 43 पर

अंकित 20 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 मोथरोवाला–I, 21 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 मोथरोवाला–II एवं 68 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 कारगी देहरादून के इनलेट पर सीवेज की BOD की गुणवत्ता इनलेट पर निर्धारित मानकों 250 के सापेक्ष क्रमशः 175, 170 व 190 mg/l पायी गयी जबकि इनलेट पर सीवेज की TSS की गुणवत्ता इनलेट पर निर्धारित मानकों 400 के सापेक्ष क्रमशः 180, 175 व 195 mg/l पायी गयी जोकि मानकों के सापेक्ष अत्यन्त कम है। इस प्रकार यह उल्लेखित किया जाना कि उ0जे0 एण्ड सी0 के कार्यों के कारण एस0टी0पी0 पर निम्न गुणवत्ता का सीवेज प्राप्त हो रहा है उचित नहीं है।

यद्यपि बैठक के दौरान विचार-विमर्श हुआ था कि पेयजल निगम/ADB के द्वारा अन्य योजनाओं में इस क्षेत्र में बिछायी गयी सीवर लाईन से सम्बन्धित सीवर संयोजन कार्य जल संस्थान के स्तर से सम्पादित कराये जाने की आवश्यकता है, जिसे आपके द्वारा निर्गत उक्त कार्यवृत्त में अंकित किया जाना छूट गया है। आपको [illegible] शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पत्रांक 2388/प्र0/16 दिनांक 21.06.2021 द्वारा योजना हस्तान्तरण हेतु वांछित प्रपत्र एवं सूचना भी प्रेषित की जा चुकी है।

कृपया अनुरोध है कि संयुक्त समीक्षा बैठकों का कार्यवृत्त दोनों पक्षों के हस्ताक्षर उपरान्त ही निर्गत कराने का कष्ट करें।

तद्नुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(आर0के0 जैन)
महाप्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि :–

1. परियोजना निदेशक, एस0एम0सी0जी0, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. श्री अक्षय कुमार, पर्यावरण विशेषज्ञ, एस0एम0सी0जी0, देहरादून।
5. अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

महाप्रबन्धक

ANNEX-Q
POLLUTION CONTROL BOARD SAMPLE REPORT

UTTARAKHAND
UKPCB
LiFE
Lifestyle For Environment

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–116, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001
टेलीफोन नं.–0135–3593200

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-54/2024–25/1128 – 683 दिनांक: 24/06/24

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक सख्या–1968/भूमि/2024–25 दिनांक 21.06.2024 के अनुक्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 व दिनांक 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निरीक्षण के दौरान River Rispana, Near Deep Nagar, Dehradun, River Rishpana Near Chunna Bhatta, Dehradun एवं 20 MLD STP, Mothrowala, Dehradun से लिये गये जल नमूनो की प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

~~[illegible]~~ MNA – प्राथमिकता
TS(gnd) – निरंजन बागछी पत्रावली में रखें

नगर आयुक्त

भवदीय

RK

(डॉ0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

614
29/6/24

CENTRAL LABORATORY
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
46 – B IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun
Email Id – clukpcb@gmail.com

Test Report

Test report no:	:	CL/05/HO/SW/001
Code allotted:	:	UKPCB/CL/05/24/ROD/SW – 01
Name& address of industry:	:	M/s River Rispana near Deep Nagar, Dehradun
Sampling point	:	Surface Water
Type of sample:	:	Grab
Sample collected by:	:	Mr. Rakesh Kandari (Asst. Environment Engineer)
Quantity & Packing: (HDPE/LDPE/P/G/Any Other)	:	2 ltr HDPE Jerrican
Date of sample collection:	:	21.05.2024
Date of sample receipt in the laboratory	:	21.05.2024
Duration of analysis:	:	21.05.2024 – 31.05.2024
Date of issue of report:	:	10.06.2024

S.No.	Parameters	Results	Test Method	Unit
1.	pH (@25°C)	6.61	APHA 4500 H⁺ B: Electrometric Method	-
2.	Total Suspended Solids	34.0	APHA 2540 C: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	mg/l
3.	Total Dissolved Solids	733.0	APHA 2540 D: Total Dissolved Solids Dried at 180°C	mg/l
4.	Dissolved Oxygen	Nil	APHA 4500-O C Azide Modification	mg/l
5.	Biochemical Oxygen Demand	44.0	IS 3025 (Part 44) 2023, 3 days 27°C	mg/l
6.	Chemical Oxygen Demand	110.0	IS 3025 (Part 58) 2023, Open Reflux Method	mg/l
7.	Hardness	458.0	APHA 2340 C EDTA Titrimetric Method	mg/l
8.	Calcium	310.0	APHA 3500-Ca B EDTA Titrimetric Method	mg/l
9.	Magnesium	148.0	Calculation Method	mg/l
10.	Alkalinity	425.0	APHA 2320 B Titration Method	mg/l
11.	Chloride	48.0	APHA 4500 Cl⁻ B Argentometric Method	mg/l

Analysed by:
Pramod Bhandari

Checked by:
Pradeep Chauhan

Counter sign: 11/06/2024
Amit Pokhriyal

Note:
1. The results in the Test Report relate only to the items tested.
2. The Test Report pertains to the sample as received.

Generated from eOffice by Pradeep Chauhan, LAB ASSISTANT, LAB ASSISTANT, DEPT-PCB on 11/06/2024 03:45 pm

File No. PCB-24019/1/2022-PCB-DEPT-PCB (Computer No. 8618)

24

024

CENTRAL LABORATORY

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

46– B IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun

Email id – clukpcb@gmail.com

Test Report

Test report no:	:	CL/05/HO/SW/002
Code allotted:	:	UKPCB/CL/05/24/ROD/SW - 02
Name & address of industry:	:	M/s River Rispana near Chunna Bhata, Raipur Road, Dehradun
Sampling point:	:	Surface Water
Type of sample:	:	Grab
Sample collected by:	:	Mr. Rakesh Kandari (Asst. Environment Engineer)
Quantity & Packing:	:	2 ltr
(HDPE/LDPE/P/G/Any Other)		HDPE Jerrican
Date of sample collection:	:	21.05.2024
Date of sample receipt in the laboratory	:	21.05.2024
Duration of analysis:	:	21.05.2024 –31.05.2024
Date of issue of report:	:	10.06.2024

S.No.	Parameters	Results	Test Method	Unit
1.	pH (@25°C)	6.75	APHA 4500 H+ B: Electrometric Method	-
2.	Total Suspended Solids	45.0	APHA 2540 C Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	mg/l
3.	Total Dissolved Solids	852.0	APHA 2540 D Total Dissolved Solids Dried at 180°C	mg/l
4.	Dissolved Oxygen	Nil	APHA 4500-O C Azide Modification	mg/l
5.	Biochemical Oxygen Demand	80.0	IS 3025 (Part 44): 2023, 3 days 27°C	mg/l
6.	Chemical Oxygen Demand	140.0	IS 3025 (Part 58): 2023, Open Reflux Method	mg/l
7.	Hardness	515.0	APHA 2340 C EDTA Titrimetric Method	mg/l
8.	Calcium	380.0	APHA 3500-Ca B EDTA Titrimetric Method	mg/l
9.	Magnesium	135.0	Calculation Method	mg/l
10.	Alkalinity	610.0	APHA 2320 B Titration Method	mg/l
11.	Chloride	68.0	APHA4500 Cl- B Argentometric Method	mg/l

Analysed by:
Pramod Bhandari

Checked by:
Pradeep Chauhan

Counter sign:
Amit Pokhriyal

Note:

1. The results in the Test Report relate only to the items tested.

File No. PCB-24019/1/2022-PCB DEPT-PCB (Computer No. 8618)

CENTRAL LABORATORY
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
46 – B1T Park, Sahastradhara Road, Dehradun
Email id – clukpcb@gmail.com

Test Report

Test report no:	:	CL/05/HO/IW/019
Code allotted:	:	UKPCB/CL/05/24/ROD/IW – 19
Name & address of industry:	:	M/s 20 MLD STP, Mothrowala, Dehradun
Sampling point:	:	STP Outlet
Type of sample:	:	Grab
Sample collected by:	:	Mr. Rakesh Kandari (Asst. Environment Engineer) Mr. Dhirendra Singh (Monitoring Assistant)
Quantity & Packing: (HDPE/LDPE/P/G/Any Other)	:	2 ltr HDPE Jerrican
Date of sample collection:	:	22.05.2024
Date of sample receipt in the laboratory	:	22.05.2024
Duration of analysis:	:	22.05.2024 –31.05.2024
Date of issue of report:	:	10.06.2024

S.No.	Parameters	Results	Test Method	Unit
1.	pH (@25°C)	7.11	APHA 4500 H⁺ B Electrometric Method	-
2.	Total Suspended Solids	13.0	APHA 2540 C: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	mg/l
3.	Total Dissolved Solids	312.0	APHA 2540 D: Total Dissolved Solids Dried at 180°C	mg/l
4.	Biochemical Oxygen Demand	18.0	IS 3025 (Part 44): 2023, 3 days 27°C	mg/l
5.	Chemical Oxygen Demand-	70.0	IS 3025 (Part 58): 2023, Open Reflux Method	mg/l

Analysed by:
Pranod Bhandari

Checked by:
Pradeep Chauhan

11/06/2024
Counter sign:
Amit Pokhriyal

Note: